

प्रेस नोट दिनांक 20.10.2025

थाना- बारादरी

थाना बारादरी #bareillypolice द्वारा हिन्दू धर्म से इसाई धर्म में परिवर्तन कराने वाले 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में।

घटना का संक्षिप्त विवरण/परिचय-

दिनांक 19.10.2025 को थाना बारादरी के क्षेत्रान्तर्गत चौकी रुहेलखण्ड में सुपर सिटी में किराये का मकान लेकर रह रहे 03 अभियुक्तों के विरुद्ध वादी रिसभ ठाकुर पुत्र गौतम सिंह निवासी सुभाष नगर थाना सुभाषनगर जिला बरेली के द्वारा अपनी तहरीर में बताया कि अभियुक्तों द्वारा कुछ हिन्दू महिलाओं/बच्चों को प्रलोभन देकर तथा मुकदमा वादी खुद को धोखे से हिन्दू धर्म से इसाई धर्म परिवर्तन कराकर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिसके सम्बन्ध में थाना बारादरी पर दिनांक 19.10.2025 को मु0अ0सं0 1247/2025 धारा 299 बी0एन0एस0 व धारा 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधि0 2021 बनाम अभियुक्त 1. इसाई सुमित मैसी पुत्र विलियम मैसी (पादरी) 2. अमित मैसी उर्फ अक्षय मैसी पुत्र विलियम मैसी निवासी गण सुपर सिटी थाना बारादरी जिला बरेली 3. सरिता पत्नी देवेन्द्र 4. सत्यपाल पुत्र मनीराम निवासी गण सनराइज कालोनी थाना बारादरी जिला बरेली के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। मुकदमा पंजीकृत होने के पश्चात् थाना बारादरी पुलिस द्वारा अभियुक्त 1. सुमित मैसी उपरोक्त 2. अमित मैसी उर्फ अक्षय मैसी उपरोक्त 3. सत्यपाल उपरोक्त को गिरफ्तार कर अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष रिमाण्ड हेतु प्रस्तुत किया गया है।

घटना के सम्बन्ध में सूचना, पुलिस टीम एवं कार्यवाही:-

दिनांक 20.10.2025 को प्रभारी निरीक्षक थाना बारादरी बरेली की टीम जिसमें उ0नि0 मनीष भारद्वाज चौकी प्रभारी रुहेलखण्ड मय अपनी चीता मोबाइल के साथ गस्त में मामूर थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि साहब आपके मुकदमें से सम्बन्धित अभियुक्त जो कही जाने की फिराक में है। इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर तत्काल चौकी प्रभारी उपरोक्त द्वारा मुखबिर से सम्पर्क स्थापित कर दबिश देकर 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। जिनसे पूछताछ की गयी तो उपरोक्त तीनों व्यक्ति मु0अ0सं0 1247/2025 धारा 299 बी0एन0एस0 व धारा 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधि0 2021 से सम्बन्धित हैं। जिनको गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रिमाण्ड की कार्यवाही की जा रही है।

घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

दिनांक 19.10.2025 को मु0अ0सं0 1247/2025 धारा 299 बी0एन0एस0 व धारा 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधि0 2021।

पूछताछ

अभियुक्तों से पूछने पर बताया कि यह पाया गया कि जो लोग इसाई धर्म अपनाना चाहते हैं उन्हें हम लोग प्रार्थना कराते हैं तथा प्रार्थना कराने के बाद उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं तथा उनका ईलाज कराने के आश्वासन देते हैं। इसी प्रकार हम लोग हिन्दू महिलाओं व बच्चों से इसाई धर्म में परिवर्तन कराते हैं। आज हम बाहर दूसरे राज्य में जाने की फिराक में थे कि पुलिस द्वारा पकड़े गये।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. सुमित मैसी पुत्र विलियम मैसी (पादरी) निवासी सुपर सिटी थाना बारादरी जिला बरेली।
2. अमित मैसी उर्फ अक्षय मैसी पुत्र विलियम मैसी निवासी सुपर सिटी थाना बारादरी जिला बरेली।
3. सत्यपाल पुत्र मनीराम निवासी सनराइज कालोनी थाना बारादरी जिला बरेली।

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक धनन्जय पाण्डेय थाना बारादरी बरेली।
2. उ0नि0 मनीष भारद्वाज प्रभारी चौकी रुहेलखण्ड थाना बारादरी बरेली।
3. हे0कां0 33 साबिर अली थाना बारादरी बरेली।
4. हे0कां0 957 पुष्पेन्द्र राणा थाना बारादरी बरेली।
5. हे0कां0 300 धनवीर सिंह थाना बारादरी बरेली।